संख्या-5/2018-2479 ई/1-तेरह- 2018-18/2017 टी0सी0

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग 1- लखनऊ::दिनॉक:अक्टूबर 24 2018

विषय:-आबकारी अनुज्ञापन के निरीक्षण की चेक लिस्ट निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक आपके पत्र संख्या-11661/ग्यारह-ई0आई0बी0/निरीक्षण मानक्रम/मासिक विभाजन/2018-19, दिनॉक 05 अक्टूबर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-29 ई-1/तेरह-2018, दिनॉक 08 जनवरी, 2018 द्वारा प्रदेश की चीनी मिल, आसवनी, देशी एवं विदेशी मदिरा के थोक एवं फुटकर दुकानों/अनुज्ञापनों आदि के निरीक्षण हेतु चेक प्वाइंट का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनॉक 08 जनवरी, 2018 को अवक्रमित करते हुए मादक वस्तुओं से संबंधित गतिविधियों को विनिश्चित एवं नियंत्रित करते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्ति के लिए प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि हेतु प्रभावी प्रवर्तन मार्गनिर्देशन में विभाग की प्रत्येक यूनिट के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट संलग्न है। **चीनी मिलों के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-1), आसवनी के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-2), देशी शराब के थोक अनुज्ञापन (सी0एल0-2) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-3), विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-4), बीयर के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2बी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-5), देशी शराब की फुटकर दुकान (सी0एल0-5) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-6), विदेशी मदिरा के फुटकर दुकान (एफ0एल0-5) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-7), बीयर की फुटकर दुकान (एफ0एल0-5बी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-8), माडल शाप (एफ0एल0-4ए) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-9), रेस्टोरेन्ट/होटल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-6 समिश्र, एफ0एल0-7) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-10) एवं भॉग की फुटकर दुकान (आई0डी0-14 बी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-11) संलग्न की जा रही है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: कृपया संलग्न चेक लिस्ट के आधार पर सभी स्तर के अधिकारी मानक के अनुसार निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षणोंपरान्त आयुक्तालय द्वारा **e-monitoring portal** पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या–5/2018-2479 (1) ई-1/तेरह-2018/तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चीनी मिल के निरीक्षण की चेक लिस्ट

1. चीनी मिल का नाम .....
2. निरीक्षण के समय उपस्थित उप/आबकारी निरीक्षक का नाम.....
3. निरीक्षक के समय उपस्थित मिल प्रतिनिधि का नाम व पद.....
4. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण

   .....

   i. अधिकारी का नाम/पदनाम-

   ii. निरीक्षण की तिथि व समय-
5. पेराई सत्र प्रारम्भ होने की तिथि.....
6. पेराई सत्र समाप्त होने की तिथि.....
7. शीरा सत्र में निरीक्षण तिथि तक पेरे गये गन्ने की मात्रा (कुं०में).....

   उत्पादित चीनी की मात्रा.....कुं० में

   चीनी की रिकवरी.....प्रतिशत में।

   उत्पादित शीरे की मात्रा.....कु० में

   शीरे की रिकवरी.....प्रतिशत में।

   उत्पादित शीरे की ब्रिक्स.....ग्रेड.....
8. रोटोमीटर की रीडिंग .....
9. रोटोमीटर रीडिंग के अनुसार आंकलित उत्पादन.....
10. अभिलेखानुसार उत्पादन और आंकलित उत्पादन में अन्तर.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता(टी०सी०डी० में).....

12. विगत चार शीरा वर्षों में शीरे का उत्पादन

शीरा वर्ष	उत्पादन

13. मिल की आंकलित संचय क्षमता कुं० में.....

14. मिल में पायी गयी वास्तविक संचय क्षमता कु० में.....

शीरा संचय क्षमता में कमी होने पर विगत तीन वर्षों में चीनी मिल के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

15. (अ) शीरा सम्भरण का सत्यापन :-

क्र०सं०	आसवनी/इकाई का नाम	आबंटनादेश संख्या/ दिनांक	आवंटित मात्रा (कुन्टल में)	सम्भरित मात्रा (कुन्टल में)	सम्भरण हेतु अवशेष मात्रा (कुन्टल में)

(ब) शीरे के सम्भरण में आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की मात्रा :-

क्र०सं०	आरक्षित शीरे की सम्भरण की मात्रा (कुन्टल में)	अनारक्षित शीरेकी सम्भरण की मात्रा (कुन्टल में)	कुल शीरे की मात्रा (कुन्टल में)	शीरा नीति के अनुसार सम्भरण में अनुपात का अनुपालन किया गया है या नहीं	अभ्युक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. संचित शीरे का भौतिक सत्यापन :-

क्र० सं०	टैंक सं०	संचय क्षमता	डिप	ब्रिक्स	स्पेसिफिक ग्रेविटी	शीरे का आयतन	शीरे की मात्रा (कुन्टल में)	लेखानुसार संचित मात्रा (कुन्टल में)	अन्तर (कुन्टल में)
1									
2									
3									
योग									

अन्तर का कारण.....

कच्चा/पक्का पिट आच्छादित किये बिना शीरे का संचय किए जाने का विवरण

(यदि हो)-.....

17. शीरे के उत्पादन, बिक्री संबंधित एम० 5 व पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के रख-रखाव की स्थिति:-

(i) सभी कालम अद्यतन पूर्ण/अपूर्ण.....

18. शीरे का संचय परीक्षण:-

i. मिल का प्रारम्भिक स्टाक (कुं०में).....

ii. निरीक्षण तिथि तक उत्पादन (कुं०में).....

iii. योग (कुन्टल मे)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. निरीक्षण तिथि तक सम्भरण (कुं०में).....

v. लेखानुसार अवशेष स्टाक(कुं०में).....

vi. वास्तविक स्टाक (कुं०में).....

vii. व्यतिक्रम/अन्तर(कुं०में).....

व्यतिक्रम का कारण-.....

19. प्रशासनिक शुल्क:-

i. निरीक्षण तिथि को प्रशासनिक शुल्क अग्रिमखाते का अवशेष (रू०में).....

ii. निरीक्षण तिथि तक देय कुल प्रशासनिक शुल्क (रू०में).....

iii. निरीक्षण तिथि तक जमा कुल प्रशासनिक शुल्क (रू०में).....

iv. जमा प्रशासनिक शुल्क के चालान जी०-6 पंजिका से सत्यापित है या नहीं.....

20. शीरा निधि :-

i. निरीक्षण तिथि को शीरा निधि अग्रिम खाते का अवशेष (रू०में).....

ii. निरीक्षण तिथि तक देय कुल शीरा निधि (रू०में).....

iii. निरीक्षण तिथि तक शीरा वर्ष में जमा कुल धनराशि का अवशेष(रू०में).....

iv. निरीक्षण तिथि तक शीरा निधि खाते में जमा कुल धनराशि का अवशेष(रू०में).....

v. एफ०डी०आर० के रूप में शीरा निधि में जमा धनराशि की स्थिति.....

21. एम०एफ०-4 गेट पास :-

i. निरीक्षण तिथि तक जारी किये गये कुल एम०एफ०-4 गेटपासों की संख्या.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. निरीक्षण तिथि तक सत्यापनोपरान्त प्राप्त एम०एफ०-4गेटपासों की संख्या.....

iii. निरीक्षण तिथि तक सत्यापन हेतु लम्बित गेट पासों की संख्या.....

iv. निरीक्षण तिथि तक जारी किये गये अन्तिम गेट पास की संख्या/दिनांक.....

v. निर्धारित समयान्तर्गत सत्यापित होकर प्राप्त न होने वाले गेट पासों की संख्या.....

22. अन्य/विविध:-

i. रोटोमीटर को नियमानुसार उप/आबकारी निरीक्षक द्वारा सील किया गया है या नहीं.....

ii. मिल में डिप राड/सैम्पल अनुरक्षित हैं या नहीं.....

iii. मिल में गेजचार्ट विभाग द्वारा अनुमोदित हैं या नहीं.....

iv. मिल के तौल कांटे/वे ब्रिज का सत्यापन.....

v. मिल में आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे का सम्भरण निर्धारित अनुपात के अनुसार है या नहीं.....

vi. मिल में अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति.....

vii. शीरे की निकासी पासबुक में प्रविष्टियों की स्थिति.....

viii. एम०एफ०-4 गेट पास के सभी कालम पूर्ण किये जाने की स्थिति.....

a. रूट दर्शाया जा रहा है या नहीं.....

b. वैधता अवधि के दिनांक या समय का अंकन किया जा रहा है या नहीं.....

ix. चीनी मिल में संचित बिलोग्रेड शीरे की मात्रा (कु०में).....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

23. चीनी मिल में पायी कमी का संक्षिप्त विवरण :-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आसवनी के निरीक्षण की चेक लिस्ट

1. आसवनी का नाम व पता-

   आसवक का नाम व पता-

   ई-मेल आई.डी.-

   दूरभाष नम्बर –

2. (a) आसवनी में नियुक्त आबकारी स्टाफ का विवरण-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	आसवनी में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान में आबंटित अनुभाग	मोबाइल नम्बर

(b) स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति का विवरण –

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	आसवनी में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	सहायक आबकारी आयुक्त				
2	आबकारी निरीक्षक				
3	कनिष्ठ सहायक				
4	आबकारी सिपाही				

3. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-

   I. अधिकारी का नाम/पदनाम-

   II. निरीक्षण की तिथि व समय-

4. आसवनी में स्वीकृत अनुज्ञापनों की संख्या तथा नवीनीकारण की स्थिति-

क्र०सं०	अनुज्ञापन का नाम	अनुज्ञापन कब तक नवीनीकृत है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. क्या आसवनी किसी चीनी मिल की कैप्टिव इकाई है?
6. क्या आसवनी के समस्त स्थायी कर्मचारियों का अनुमोदन उप आबकारी आयुक्त प्रभार से कराया गया है? अनुमोदन आदेश की संख्या एवं दिनांक का विवरण।
7. क्या आसवनी का संग्रह एवं अनुश्रवण करने हेतु कम्प्यूटर एवं नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
8. आसवनी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों (श्रमिकों) को किसकी अनुमति से आसवनी में प्रवेश दिया जा रहा है।
9. आसवनी में टिकट लॉक के प्रयोग की स्थिति
10. आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता/मात्रा की विवरण तथा उसके अनुसार शीरा की आवंटित/स्वीकृत वार्षिक मात्रा। शीरा की कितनी पासबुक आसवनी को निर्गत की गयी है।
11. ऑनलाइन प्रणाली से शीरा आवंटन के अनुसार शीरा उठान की स्थिति-

    (मात्रा कुन्टल में)

क्र०सं०	चीनी मिल का नाम	आवंटित शीरे की मात्रा	उठायी गयी शीरे की मात्रा

12. ऑफलाइन प्रणाली से शीरा आवंटन के अनुसार शीरा उठान की स्थिति-

    (मात्रा कुन्टल में)

क्र०सं०	चीनी मिल का नाम	आवंटित शीरे की मात्रा	उठायी गयी शीरे की मात्रा

13. आसवनी में शीरे के रख-रखाव की स्थिति/शीरे की स्टाक का सत्यापन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	शीरा टैंक/पिट की संख्या	शीरा टैंक/पिट की संचय क्षमता	डिप	ब्रिक्स	ब्रिक्स गुणांक	शीरे का आयतन	शीरा की वास्तविक मात्रा कु०में	लेखानुसार शीरा की मात्रा कु० में	अभ्युक्ति
	योग-								

उपरोक्त में डिकेन्टिंग/अनलोडिंग पिट की मात्रा का विवरण भी करें।

14. शीरा के गेट रजिस्टर की स्थिति। क्या शीरा तौलने के उपरान्त शीरा की अनलोडिंग की जा रही है।
15. विगत 03 वर्षों में 1.0 प्रतिशत से अधिक मार्गनयन छीजन के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण।
16. विगत 03 वर्षों में शीरा भण्डारण छीजन का प्रतिशत क्या रहा?
17. शीरा से सम्बन्धित अन्य बिन्दु-
    I. गर्मी में शीरा टंकियों को ठण्डा करने की क्या व्यवस्था है?
    II. क्या शीरा टंकियों पर फ्लोर इण्डीकेटर लगा है?
    III. चीनी मिल से पाइप लाइन द्वारा शीरा लेने के लिये क्या आटोमेटिक तौल मशीन क्रियाशील है?
    IV. क्या आटोमेटिक तौल मशीन का काउंटर सील किया गया है?
    V. क्या आटोमेटिक तौल मशीन में कोई बाईपास लाइन तो नहीं है, जिससे बिना तौल के चीनी मिल से शीरा लिया जा सके?
18. क्या उत्पादन संयंत्र बैच फरमेण्टेशन उत्पादन संयंत्र है अथवा अनवरत फरमेण्टेशन उत्पादन संयंत्र है।
19. विगत 3 वर्षों का उत्पादन विवरण-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र०सं०	वर्ष	उत्पादित स्प्रिट का प्रकार	प्रयुक्त शीरा की मात्रा कु०में	उत्पादित स्प्रिट की मात्रा ए०एल०में	प्रति कुन्टल रिकवरी प्रतिशत	शीरामें फरमेण्टेबुल शुगर की मात्रा	प्रति कुन्टल फरमेण्टेबुल शुगर रिकवरी प्रतिशत

20. विगत 03 वित्तीय वर्षों में पेय तथा औद्योगिक (अपेय) क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन का विवरण (ए०एल०) में-

क्र०सं०	वर्ष	पेय क्षमता	पेय क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन	औद्योगिक क्षमता	औद्योगिक क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन	कुल क्षमता	कुल उत्पादन

21. विगत 03 वर्षों में लो रिकवरी के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण।

22. क्या उत्पादन से रिसीवर में जानेवाली अल्कोहल की पाइप लाइनें सील्ड पायी गयीं?

स्प्रिट भण्डारका सत्यापन (रिसीवर कक्ष एवं भण्डारण कक्ष)-

क्र०सं०	वैट संख्या	डिप	तीव्रता	मात्रा बी०एल०में	डिप बुक के अनुसार मात्रा (ए०एल०में)	अन्तर/ छीजन

अलग-अलग प्रकार की स्प्रिट का सत्यापन अलग-अलग तालिका बनाकर किया जाय तथा छीजन का प्रतिशत अंकित किया जाय

23. स्प्रिट के उपयोग का विवरण-वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से कुल उत्पादित स्प्रिट का उपयोग आसवनी में किस प्रकार किया गया। विवरण ए०एल० में तैयार करें।

24. आसवनी में विगत 03 वर्षों में आसव (स्प्रिट) से निर्मित उत्पादों का विवरण-

क्र०सं०	उत्पादन का प्रकार	त्यौरे वर्ष	विगत वर्ष	चलित वर्ष
1	ई०एन०ए०			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	देशी मदिरा (ई०एन०ए०)			
3	विदेशी मदिरा			
4	साधारण विकृत स्प्रिट			
5	विशेष विकृत स्प्रिट			
6	एथेनॉल (पॉवर अल्कोहल)			
7	बियर			
8	माल्ट			
9	अन्य प्रकार की स्प्रिट			

25. क्या अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया? यदि हां तो आसवनी के विरूद्ध कृ कार्यवाही का विवरण।

26. आसवनी से प्राप्त राजस्व की गतवर्ष के सापेक्ष तुलनात्मक स्थिति-

27. (क) क्या बाटलिंग की जा रही मदिरा के समस्त ब्राण्डों का लेबुल अनुमोदन कराया गया है? देशी/विदेशी मदिरा दोनों का परीक्षण करें।

    (ख)क्या प्रदेश में बिक्री हेतु समस्त ब्राण्डों का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

28. (क) बाटलिंग के लिए कुल कितनी बाटलिंग लाइनें स्थापित है तथा किस बाटलिंग लाइन का प्रयोग किस प्रकार की मदिरा की बाटलिंग के लिये किया जा रहा है।

    (ख)क्या देशी मदिरा, विदेशी मदिरा सिविल तथा विदेशी मदिरा सी०एस०डी० की बाटलिंग लाइनों को पृथक किया गया है।

29. विगत एक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का बाटलिंग छीजन का माहवार विवरण। क्या अनुमन्य 01 प्रतिशत से अधिक बाटलिंग छीजन हुआ है। अतिशत बाटलिंग छीजन पर कार्यवाही का विवरण।

30. मदिरा के बाटल्ड स्टाक का सत्यापन।

31. प्रयुक्त न किए गये बार कोड व क्यू०आर० कोड के सुरक्षित रख-रखाव की स्थिति एवं उसके स्टाक का सत्यापन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

32. मदिरा की निकासी पर प्रतिफल शुल्क की वसूली का परीक्षण तथा क्यू०आर० कोड पंजिका से मिलान।

33. क्या मदिरा निकासी के एस एम एस सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी को भेजे जा रहे हैं।

34. क्या मदिरा निकासी के पासों में बैच नम्बर अंकित किया जा रहा है।

35. निकासी पासों के गन्तव्य स्थल से सत्यापन की स्थिति। 90 दिवस से अधिक के कितने पास सत्यापन के लिए लम्बित हैं।

36. मदिरा के अण्डरबाण्ड निकासी में पासों का सत्यापन 90 दिवस में न होने पर क्या देय प्रतिफल शुल्क के समतुल्य पेनाल्टी की वसूली अग्रिम खाते से की जा रही है।

37. विकारक के स्टाक का सत्यापन करें तथा विवरण अंकित करें।

38. स्प्रिट निकासी के टैंकरों की सील किये जाने की स्थिति। इनलेट/आऊटलेट किस प्रकार सील किया जाता है।

39. क्या टैंकरों में जी पी एस सस्टिम का प्रयोग किया जा रहा है? आसवनी में पीडी, एम एफ तथा एफ एल सीरीज की पंजिकाओं का निरीक्षण तथा रख-रखाव की स्थिति।

40. आवनी के गेट पर सीसीटीवी कैमरे के क्रियाशील होने की स्थिति।

41. सीसीटीवी का मानीटर किस अधिकारी/कर्मचारी/प्रबन्धक के कक्ष में लगा है।

42. आसवनी में पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देशी शराब की थोक अनुज्ञापन (सी०एल०-2) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नम्बर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि-

3. विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-

   (a) विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

4. अनुज्ञापन की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a) परिसर की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c) अनुज्ञापन पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

   (d) यदि अनुज्ञापन पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?

5. अभिलेखों का सत्यापन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(a) प्राप्ति रजिस्टर

(b) इण्डेण्ट रजिस्टर। कितने इण्डेण्ट 48 घण्टे व्यतीत होने के पश्चात भी पेंडिंग हैं।

दुकानवार इण्डेण्ट प्रस्तुत करने एवं इण्डेण्ट प्राप्ति के समय का विवरण इण्डेण्ट रजिस्टर में रखा जा रहा है अथवा नहीं?

(c) दैनिक बिक्री का रजिस्टर

(d) तीव्रतावार रजिस्टर

(e) स्टाक रजिस्टर

i. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

ii. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय

iii. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी के परिवहन पास से मिलान किया जाय।

iv. स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

v. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन

	धारिता एवं तीव्रतावार		
	42.8%v/v	36%v/v	25%v/v
	200 ml	200 ml	200 ml
01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष			
01 अप्रैल से निरीक्षण की तिथि तक प्राप्ति			

http://shasanadesh.up.nic.in

योग-			
01अप्रैल से निरीक्षण की तिथि तक बिक्री			
लेखानुसार अवशेष स्टाक			
वास्तविक अवशेष स्टाक			
व्यतिक्रम			

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-

7. निकासी का परिवन पास-
   a. परिवहन पास पर निकासी की तिथि व समय के अंकन की स्थिति
   b. निकासी के रूट के अंकन की स्थिति
   c. निकासी ले जाने के लिए फुटकर अनुज्ञापी को प्रदान किये गये वैधता का समय (घण्टों में)।
   d. परिवहन पास पर अंकित वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर के उल्लेख की स्थिति
8. इस माह कितना नकद भुगतान हुआ है? क्या डिजिटल भुगतान की सुविधा है?
9. थोक अनुज्ञापन पर कम्प्यूटर का प्रयोगकिया जा रहा है अथवा नहीं?
10. बोतलों पर चस्पा क्यू.आर.कोड का पी०डी० 25अ पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर० कोड से मिलान/सत्यापन किया जाना।
11. सीएल-2 से निर्गत किये जाने वाले परिवहन पासों के रख-रखाव की स्थिति।
12. सीएल-2 थोक अनुज्ञापन पर देशी शराब के स्टाक की उपलब्धता की स्थिति।
13. अनुज्ञापन परिसर से बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगा होने की स्थिति।
14. पीडी-25अ पासों के सत्यापन की स्थिति।
15. अनुज्ञापन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन (एफ०एल०-2) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापनी का पैन नम्बर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-
    a. अधिकारी का नाम/पदनाम।
    b. निरीक्षण की तिथि व समय।
2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-
    a. वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?
    b. अनुज्ञापनके जारी होने की तिथि
3. विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-
    a. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।
4. अनुज्ञापन की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-
    a. परिसरकी चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।
    b. निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।
    c. अनुज्ञापन पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?
    d. यदि अनुज्ञापन पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?
5. अभिलेखों का सत्यापन-
    a. प्राप्ति रजिस्टर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

b. इण्डेण्ट रजिस्टर

c. दैनिक बिक्री का रजिस्टर

d. ब्राण्डवार रजिस्टर

e. स्टाक रजिस्टर

i. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

ii. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

iii. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का एफ०एल०-36 पास से मिलान किया जाये।

iv. स्टाक रजिस्टरके भाग-3 की प्रवष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

v. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रवष्टियोंके पूर्ण अथव अपूर्ण होने की स्थिति।(

6. स्टाक का सत्यापन

विदेशी मदिरा	धारिता एवं तीव्रतावार												
	2000ml	1000ml	750ml	600ml	500ml	375ml	300ml	275ml	200ml	180ml	90ml	60ml	50ml
01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष													
01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक प्राप्ति													
योग-													
01 अप्रैल से निरीक्षण तक बिक्री													
लेखानुसार अवशेष स्टाक													
वास्तविक अवशेष स्टाक													
व्यतिक्रम													

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. ब्राण्डवार स्टाक का सत्यापन।

8. एफएल 36 पासेज़-

    a. एफएल 36 पास पर निकासीकी तिथि व समय का अंकन की स्थिति

    b. निकासी के रूट के अंकन की स्थिति

    c. निकासी ले जाने के लिए फुटकर अनुज्ञापी को प्रदान किये गये वैधता का समय (घण्टों में)।

    d. एफएल 36 पास पर अंकित वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर के उल्लेख की स्थिति।

    e. एफएल 36 पास पर बैच नम्बर क्रमांक के अंकन की स्थिति।

9. बोतलों पर चस्पा क्यू.आर.कोड का एफ०एल०-36 पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर० कोड से मिलान/ सत्यापन किया जाना।

10. एफएल-2 से निर्गत किये जाने वाले परिवहन पासों के रख-रखाव की स्थिति।

11. एफएल-2 थोक अनुज्ञापन पर विदेशी मदिरा के स्टाक की उपलब्धता की स्थिति।

12. अनुज्ञापन परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति।

13. थोक अनुज्ञापन पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

14. इस माह कितना नकद भुगतान प्राप्त हुआ है? क्या डिजिटल भुगतान की सुविधा है?

15. अनुज्ञापन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति।

16. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बियर के थोक अनुज्ञापन (एफ०एल०-2बी) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नम्बर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि-

3. विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-

   (a) विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

4. अनुज्ञापन की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a) परिसर चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षक के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c) अनुज्ञापन पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

   (d) यदि अनुज्ञापन पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?

5. अभिलेखों का सत्यापन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(a) प्राप्ति रजिस्टर

(b) इण्डेण्ट रजिस्टार।

(c) दैनिक बिक्री का रजिस्टर

(d) तीव्रतावार रजिस्टर

(e) स्टाक रजिस्टर

i. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

ii. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाया

iii. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी के परिवहन पास से मिलान किया जाय।

iv. स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

v. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन

	धारिता एवं तीव्रतावार					
	5 %v/v			8 %v/v		
	650 ml	500 ml	300 ml	650 ml	500 ml	300 ml
01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष						
01 अप्रैल से निरीक्षण की तिथि तक प्राप्ति						
योग-						
01अप्रैल से निरीक्षण						

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	की तिथि तक बिक्री						
	लेखानुसार अवशेष स्टाक						
	वास्तविक अवशेष स्टाक						
	व्यतिक्रम						
	व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-						

7. ब्राण्डवार स्टाक का सत्यापन।
8. एफएल 36 पासेज़-
    a. एफएल 36 पास पर निकासीकी तिथि व समय का अंकन की स्थिति
    b. निकासी के रूट के अंकन की स्थिति
    c. निकासी ले जाने के लिए फुटकर अनुज्ञापी को प्रदान किये गये वैधता का समय (घण्टों में)।
    d. एफएल 36 पास पर अंकित वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर के उल्लेख की स्थिति।
    e. एफएल 36 पास पर बैच नम्बर क्रमांक के अंकन की स्थिति।
9. बोतलों पर चस्पा क्यू.आर.कोड का एफ०एल०-36 पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर० कोड से मिलान/ सत्यापन किया जाना।
10. एफएल-2 से निर्गत किये जाने वाले एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।
11. एफएल-2 बी थोक अनुज्ञापन पर विदेशी मदिरा के स्टाक की उपलब्धता की स्थिति।
12. अनुज्ञापन परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति।
13. थोक अनुज्ञापन पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।
14. इस माह कितना नकद भुगतान प्राप्त हुआ है? क्या डिजिटल भुगतान की सुविधा है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. अनुज्ञापन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति।

16. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देशी शराब की फुटकर दुकान(सी०एल०-5) की चेकलिस्ट

दुकान का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापनी का पैन नम्बर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नम्बर-

दुकान का वार्षिक एम०जी०क्यू (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा)-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-
    a. अधिकारी का नाम/पदनाम।
    b. निरीक्षण की तिथि व समय।
2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-
    a. वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?
    b. अनुज्ञापनके जारी होने की तिथि
3. फुटकर विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-
    a. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।
    b. महिला विक्रय तो नहीं कर रही है।
4. दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-
    a. दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।
    b. निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।
    c. दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?
    d. यदि दुकान पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्टाक रजिस्टर

   a. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   b. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

   c. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी पासबुक में अंकित प्रविष्टियोंसे मिलान किया

   d. स्टाक रजिस्टरके भाग-3 की प्रवष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

   e. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रवष्टियोंके पूर्ण अथव अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन-42.8 प्रतिशत वी/वी 36 प्रतिशत वी/वी एवं 25 प्रतिशत वी/वी प्रत्येक तीव्रता का स्टाक-

   a. लेखानुसार स्टाक-

   b. वास्तविक स्टाक-

   c. व्यतिक्रम-

      व्यक्तिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. थोक दुकान से शराब क्रय करने हेतु भुगतान की स्थिति-RTGS ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में जमा अग्रिम धनराशि का विवरण-

8. निकासी पासबुक के रख-रखाव की स्थिति।

9. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम०आर०पी०) पर शराब की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

10. बोतलों का चस्पा क्यू०आर० कोड का पी०डी०-25अ पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर०कोड से मिलान/सत्यापन किया जाना।

11. एम०जी०क्यू० (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा) के सापेक्ष उठान की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. मदिरा की दुकान के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड लगे होने की स्थिति? बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथवा नहीं-

   a. "दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

   b. 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

   c. अनुज्ञापी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति, जो संक्रामक रोग।/छुआ-छूत रोग से ग्रसित है, को अनुज्ञापित परिसर में किसी भी कार्य के लिए सेवायोजित नहीं किया गया है।

   d. किसी भी व्यक्तिको 200 मिली० की एक मानक बोतल से कम मात्रा की बोतल की बिक्री नहीं की जायेगी।

13. क्या देशी शराब की दुकान के बाहर 36x24 इंच एवं मदिरा पान स्थल पर 18x12 इंच के पोस्टर पर **"शराब पीकर गाड़ी न चलाए"** का संदेश लिखा गया है?

14. मदिरा की दुकान के अन्दर/परिसर की साफ-सफाई की स्थिति?
    नालीं एवं कूड़ेदान की व्यवस्था है अथवा नहीं?

15. निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बिक्री तो नहीं की जा रही है?

16. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

17. देशी शराब को कब्जे में रखने की सीमा (प्रत्येक तीव्रता की देशी मदिरा 1.5ब०ली०) से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहींकी जा रही है?

18. किसी वर्दीधारी को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

19. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20. अनुज्ञापन सिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

21. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1986 (यथासंशोधित)के नियम-5(4) के प्राविधान के अनुरूप निरीक्षित दुकान की चौहद्दी है अथवा नहीं?

22. शिकायत पुस्तिका है या नहीं?

23. कोई अन्य मादक पदार्थ/मदिरा/अपमिश्रण हेतु सामग्री उपलब्ध तो नहीं है?

24. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान (एम०एल०-5) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नम्बर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नम्बर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-
    a. अधिकारी का नाम/पदनाम।
    b. निरीक्षण की तिथि व समय।
2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-
    a. वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?
    b. अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि
3. फुटकर विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-
    a. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।
    b. महिला विक्रय तो नहीं कर रही है?
4. दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-
    a. दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।
    b. निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।
    c. दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?
    d. यदि दुकान पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?
5. स्टाक रजिस्टर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

a. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

b. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

c. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी पासबुक में अंकित प्रविष्टियोंसे मिलान किया जाये।

d. स्टाक रजिस्टरके भाग-3 की प्रवष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

e. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रवष्टियोंके पूर्ण अथव अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन-

विदेशी मदिरा	धारिता एवं तीव्रतावार												
	2000ml	1000ml	750ml	600ml	500ml	375ml	300ml	275ml	200ml	180ml	90ml	60ml	50ml
लेखानुसार स्टाक-													
वास्तविक स्टाक-													
व्यतिक्रम													

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. बोतलों पर चस्पा क्यू.आर.कोड का एफ०एल०-36 पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर०कोड से मिलान/सत्यापन किया जाना।

8. थोक दुकान से मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान की स्थिति-RTGS, ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में जमा अग्रिम धनराशि।

9. एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।

10. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम०आर०पी०(एम०आर०पी०) पर मदिरा की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

11. मदिरा की दुकान पर प्रचलित ब्राण्डों की उपलब्धता की स्थिति।

12. दुकान के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. मदिरा की दुकान के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति ? बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथव नहीं-

    a. दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराबपीना वर्जित है। इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

    b. 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

    c. अनुज्ञापी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति, जो संक्रामक रोग/छुआछूत रोग से ग्रसित है, को अनुज्ञापित परिसर में किसी भी कार्य के लिए सेवायोजित नहीं किया गया है।

14. क्या मदिरा की दुकान के बाहर 36X24 इंच का पोस्टर पर **"शराब पीकर गाड़ी न चलाए"** का संदेश लखा गया है ?

15. मदिरा की दुकान के अन्दर/परिसर की साफ-सफाई की स्थिति?

16. निर्धारित समय से पूर्व या पश्चात बिक्री तो नहीं की जा रही है?

17. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

18. विदेशी मदिरा को कब्जे में रखने की सीमा से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

19. किसी वर्दीधारी सिपाही को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

20. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नही दिया जा रहा है?

21. अनुज्ञापन सिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

22. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं?

23. कोई अन्य मादक पदार्थ/देशी मदिरा/अपमिश्रण हेतु सामग्री उपलब्ध तो नहीं है?

24. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-5(4) के प्राविधान के अनुरूप निरीक्षत दुकान की चौहद्दी है अथवानहीं?

25. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बियर की फुटकर दुकान (एफ०एल०-5बी) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नम्बर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नम्बर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-
    a. अधिकारी का नाम/पदनाम।
    b. निरीक्षण की तिथि व समय।
2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-
    a. वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?
    b. अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि
3. फुटकर विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-
    a. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।
    b. महिला विक्रय तो नहीं कर रही है?
4. दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-
    a. दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।
    b. निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।
    c. दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?
    d. यदि दुकान पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?
5. स्टाक रजिस्टर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

a. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

b. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

c. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी पासबुक में अंकित प्रविष्टियोंसे मिलान किया जाये।

d. स्टाक रजिस्टरके भाग-3 की प्रवष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

e. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रवष्टियोंके पूर्ण अथव अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन (धारितावार)

धारिता एवं तीव्रतावार		5 %v/v			8 %v/v		
		650 ml	500 ml	300 ml	650 ml	500 ml	300 ml
(a)	लेखानुसार स्टाक						
(b)	वास्तविक स्टाक						
	व्यतिक्रम						

7. ब्राण्डवार स्टाक का सत्यापन-

8. थोक दुकान से मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान की स्थिति-RTGS, ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में जमा अग्रिम धनराशि।

9. बोतलों पर चस्पा क्यू.आर.कोड का एफ०एल०-36 पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर०कोड से मिलान/सत्यापन किया जाना।

10. एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।

11. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम०आर०पी०) पर बियर की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

12. बियर की दुकान पर प्रचलित ब्राण्डों की उपलब्धता की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. दुकान के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।

14. मदिरा की दुकान के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति ? बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथवा नहीं-

    a. दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराबपीना वर्जित है। इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

    b. 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

    c. अनुज्ञापी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति, जो संक्रामक रोग/छुआछूत रोग से ग्रसित है, को अनुज्ञापित परिसर में किसी भी कार्य के लिए सेवायोजित नहीं किया गया है।

15. क्या बियर की दुकान के बाहर 36X24 इंच का पोस्टर पर **"शराब पीकर गाड़ी न चलाए"** का संदेश लखा गया है ?

16. बियर की दुकान के अन्दर/परिसर की साफ-सफाई की स्थिति?

17. निर्धारित समय से पूर्व या पश्चात बिक्री तो नहीं की जा रही है?

18. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

19. बियर को कब्जे में रखने की सीमा से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

20. किसी वर्दीधारी सिपाही को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

21. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नही दिया जा रहा है?

22. अनुज्ञापन सिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

23. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं?

24. कोई अन्य मादक पदार्थ/देशी मदिरा/अपमिश्रण हेतु सामग्री उपलब्ध तो नहीं है?

25. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-5(4) के प्राविधान के अनुरूप निरीक्षत दुकान की चौहद्दी है अथवानहीं?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माडल शाप (एफ०एफ०-4ए) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

माडल शाप का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-
   a. अधिकारी का नाम/पदनाम।
   b. निरीक्षण की तिथि व समय।
2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-
   a. वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?
   b. अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि
3. माडल शाप विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-
   a. विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।
   b. अनुज्ञापी के प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधियों द्वारा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं।
   c. क्या बिना पहचान पत्र के कोई कर्मचारी परिसर में कार्य करता हुआ पाया गया अथवा नहीं।
4. माडल शाप की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-
   a. माडल शाप चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।
   b. निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।
   c. माडल शाप पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?
   d. यदि माडल शाप पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रही है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. a. माडल शाप का परिसर कम से कम 600 वर्ग फीट कारपेट क्षेत्र का है अथवा नहीं ?

b. क्या माडल शाप पूर्णतया वातानुकूलित है अथवा नहीं ?

c. क्या माडल शाप में उपभोगताओं हेतु प्रसाधन (टायलेट) की व्यवस्था है अथवा नहीं ?

d. क्या माडल शाप के पास वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान है अथवा नहीं?

e. क्या माडल शाप के पास रेस्टोरेंट के संचालन के लिए खाद्य विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

6. स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण-

a. स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं ?

b. स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

c. स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का का एफ०एल०-36 पास से मिलान किया जाये।

d. स्टाक रजिस्टरके भाग-3 की प्रवष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

e. स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रवष्टियोंके पूर्ण अथव अपूर्ण होने की स्थिति।

7. (अ) स्टाक का सत्यापन (धरितावार)

विदेशी मदिरा	धारिता एवं तीव्रतावार											
	2000ml	1000ml	750ml	600ml	500ml	375ml	300ml	275ml	200ml	180ml	90ml	60ml
लेखानुसार स्टाक-												
वास्तविक स्टाक-												

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यतिक्रम												

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7 (ब) स्टाक का सत्यापन (धारितावार)

बियर		5 %v/v			8 %v/v		
		650 ml	500 ml	300 ml	650 ml	500 ml	300 ml
(a)	लेखानुसार स्टाक						
(b)	वास्तविक स्टाक						
	व्यतिक्रम						

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

8. बोतलों पर चस्पा क्यू.आर.कोड का एफ०एल०-36 पास में पोर्टल पर अंकित क्यू०आर०कोड से मिलान/सत्यापन किया जाना।
9. एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।
10. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम०आर०पी०) पर मदिरा की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।
11. माडल शाप पर प्रचलित ब्राण्डों की उपलब्धता की स्थिति।
12. माडल के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।
13. माडल शाप के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति।
    a. दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराबपीना वर्जित है। इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
    b. 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।
    c. अनुज्ञापी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति, जो संक्रामक रोग/छुआछूत रोग से ग्रसित है, को अनुज्ञापित परिसर में किसी भी कार्य के लिए सेवायोजित नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

d. किसी व्यक्ति को 60 मिली० की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की बोतल की बिक्री नहीं की जाएगी।

14. क्या माडल शाप की दुकान के बाहर 36X24 इंच एवं मदिरा पान स्थान पर 18x12 इंच के पोस्टर पर **"शराब पीकर गाड़ी न चलाए"** का संदेश लिखा गया है ?

15. माडल शाप के अन्दर/परिसर की साफ-सफाई की स्थिति?

16. निर्धारित समय से पूर्व या पश्चात बिक्री तो नहीं की जा रही है?

17. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

18. माडल शाप से कब्जे में रखने की सीमा से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

19. किसी वर्दीधारी सिपाही को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

20. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नही दिया जा रहा है?

21. अनुज्ञापन सिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

22. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं?

23. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-5(4) के प्राविधान के अनुरूप निरीक्षत दुकान की चौहद्दी है अथवानहीं?

24. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बार अनुज्ञापन के निरीक्षण की चेक लिस्ट

होटल बार/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापन का नाम जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नम्बर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नम्बर-

जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या-

1- निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण-

(a) अधिकारी का नाम / पदनाम-

(b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2- अनुज्ञापन का निरीक्षण-

(a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं-

(b) अनुज्ञापन नवीनकरण / जारी होने की तिथि-

3- स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण-

a. स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं-

b. स्टॉक रजिस्टर के भाग 1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय-

c. स्टॉक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों को एफ0एल0-36 पास से मिलान किया जाया अंकित प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति-

d. स्टॉक रजिस्टर के भाग'-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

e. स्टॉक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति-

4- (a) स्टाक का सत्यापन (धारितावार) –

विदेशी मदिरा	धारिता			
	2000ml	1000ml	750ml	60ml
लेखानुसार स्टाक-				
वास्तविक स्टाक-				
व्यतिक्रम-				

व्युतिक्रम /अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

(b) स्टाक का सत्यापन (धारितावार) -

बीयर धारिता एवं तीव्रतावार		5%v/v			8%v/v		
		650ml	500ml	300ml	650ml	500ml	300ml
(d)	लेखानुसार स्टाक						
(e)	वास्तविक						
	स्टाक						
	व्यतिक्रम-						

व्यितक्रम / अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-

5- रेस्टारेंट / होटल पंजीकृत है अथवा नहीं?

6- रेस्टोरेंट / होटलबार का आच्छादित क्षेत्र निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है अथवा नहीं ?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- क्या रेस्टोरेंट / होटल निर्माण स्थायी प्रकृति का है अथवा नहीं ? क्या छत सहित सीमेंट तथा कंक्रीट द्वारा निर्मित है अथवा नहीं ?

8- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार में निर्धारित व्यक्तियों के बैठने की सुविधा है ?

9- क्या होटल में अतिथियों को ठहरने के लिए कक्ष की व्यवस्था है ?

10- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार में अलग रसोई की व्यवस्था है?

11- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार में काउण्टर व लीकर स्टोर के लिए अलग व पृथक व्यवस्था है ?

12- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार में स्त्री व पुरूषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट (प्रसाधन) की व्यवस्था है?

13- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार में अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था है ?

14- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार में अपेक्षित पार्किंग की व्यवस्था है ?

15- क्या रेस्टोरेंट / होटल बार का परिसर उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के अनुकूल है ?

16- क्या मदिरा किसी नाबालिग या महिला द्वारा बेचीं या परोसी तो नहीं जा रही है ?

17- क्या मदिरा परोसने वाला व्यक्ति किसी संक्रामक या संसर्गजनति रोग से ग्रसित तो नहीं है ?

18- क्या बार की दुकान के बाहर 36 ×24 इंच एवं मदिरापान स्थल पर 18 × 12 इंच के पोस्टल पर **"शराब पीकर गाड़ी न चलाएं"** का संदेश लिखा गया है?

19- परिसर के दृश्य स्थलपर निम्न चेतावनी प्रदर्शित है अथवा नही ? "शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"

20- रेस्टोरेट/होटल बार में निर्धारित मात्रा में पेग में ही मदिरा (बीयर को छोड़कर) बेची जा रही है अथवा नहीं?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

21- परोसने / उपभोग के लिए रखी गयी प्रत्येक बोतल पर सुरक्षा कोड लगा है अथवा नहीं ?

22- क्या होटल बार में प्रत्येक कमरे में सम्बद्ध स्नान कक्ष है अथवा नहीं ?

23- निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भांग की फुटकर दुकान (आई0 डी0.14बी) के निरीक्षण की चेक

दुकान का नाम-

निरीक्षण की तिथि-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नं०-

दुकान का वार्षिक एम0जी0 क्यू0- किलोग्राम में

1- निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण –

(a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

(b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2- अनुज्ञापन का निरीक्षण-

(a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

(b) निरीक्षण की तिथि व समय-

3- फुटकर विक्रेता अनुमोदित है अथवा नहीं-

(a) विक्रेता का नाम व पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति-

(b) क्या महिला विक्रेता द्वारा बिक्री तो नहीं की जा रही है –

(c) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं-

4- दुकान चौहददी अनुमोदित है अथवा नहीं-

(a) दुकान की चौहददी का अनुज्ञापन पर अंकित होना-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहददी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाय-

(c) दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं-

(d) यदि दुकान पक्के भवन में संचालित नहीं है तो कहां पर चल रही है-

5- स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण्-

(a) स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं-

(b) स्टॉक रजिस्टर के भाग 1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय-

(c) स्टॉक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी पास बुक से मिलान किया जाय। अंकित प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति-

(d) स्टॉक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति-

(e) स्टॉक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति-

6- स्टॉक का सत्यापन:-

	विवरण	सूखी भांग (कि0ग्रा0) में	घोटा भांग (कि0ग्रा0) में
a	लेखानुसार स्टॉक-		
b	वास्तविक स्टॉक-		
c	व्यतिक्रम-		

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-

7- बांट व तुला का रख-रखाव-

(क) अनुज्ञापी द्वारा अपने निर्धारित सही बांट व तुला रखा गया है अथवा नहीं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) बांट-माप विभाग से नियमानुसार बांटों का सत्यापन कराया गया है अथवा नहीं ।

8- भांग दुकान पर बेंची जाने वाली बंद पुडिया मोहरबंद है अथवा नहीं-

9- दुकान परिसर में अनाधिकृत रूप से कोई भांग का उपभोग तो नहीं कर रहा है -

10- दुकान पर संरक्षित पुडिया अथवा घोटा भांग 150 ग्राम से अधिक वजन की तो नहीं है-

11- दुकान में संचित भांग का स्टॉक यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपभोग योग्य नहीं लग रहा है तो उस भांग की मात्रा को अनुज्ञापी द्वारा तुरन्त विनष्ट करने हेतु समर्पित किया गया अथवा नहीं-

12- दुकान परिसर में कोई जहरीली वस्तु तो नहीं रखी गयी है-

13- (a) दुकान से 21 वर्ष से कम आयु के क्रेता/ व्यक्तियों को भांग तो नहीं बेंची जा रही है-

(b) किसी वर्दीधारी सिपाही को भांग की बिक्री तो नहीं की जा रही है-

14- भांग की दुकान के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड लगे होने की स्थिति-

(a) अनुज्ञापी का नाम-

(b) स्थान का नाम-

(c) अनुज्ञापन वर्ष अंकित है अथवा नहीं-

15- क्या भांग अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है अथवा नहीं-

16- बिक्री के निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात भांग की बिक्री तो नहीं की जा रही है-

17- अनुज्ञापन परिसर में घूत-क्रीडा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है –

18- भांग अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है-

19- अनुज्ञापित परिसर में अनुज्ञापी द्वारा केवल भांग का ही स्टॉक रखा गया है अथवा अन्य किसी पदार्थ का स्टॉक तो नहीं रखा गया है-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापित परिसर में भांग के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय तो नहीं चलाया जा रहा है-

20- संचित भांग स्टॉक में अनुज्ञापी द्वारा किसी प्रकार का अपमिश्रण अथवा इसके गुण अथवा तौल में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए कोई प्रयास/कार्य तो नहीं किया गया है-

21- दुकान के अन्दर साफ-सफाई की स्थिति-

22- शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है अथवा नहीं-

23- अनुज्ञापी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञापित परिसर में किसी भी कार्य के लिए, जो संक्रामक रोग/ छुआछूत रोग से ग्रसित है, को सेवायोजित तो नहीं किया गया है-

24- निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं का संक्षिपत विवरण-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।